कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

क्रमांक /1077/ वाचक / 2025

रामानुजनगर,दिनांक 11 / 07 / 2025
रा0प्र0क0..– 202507263400013
अ–62 / 2024–25

प्रारूप–ड.
(नियम 7(2) देखिये)
अनुशंसा

प्रति,

सरपंच / सचिव
ग्राम–कौसलपुर तहसील रामानुजनगर
जिला–सूरजपुर छ0ग0

विषयः– प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की कटाई हेतु अनुशंसा।

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक ..**03 / 07 / 2025**..को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक....**07 / 07 / 2025**..को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक**.....07 / 07 / 2025**....के प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु महुआ के वृक्ष की संख्या 01 है।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि खसरा नंबर...**934** **रकबा..0.52हे0**..ग्राम.....**कौसलपुर**.....पटवारी ह0नं0...**20**.....तह0..रामानुजनगर..स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति ..... **महुआ**.........एवं संख्या (क्रमशः)......**01**.........है, को काटे जाने पर संहिता के किन्हीं उपबधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। चिन्हित स्थल पर लोक प्रयोजन हेतु महतारी सदन स्वीकृत है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन लोक हित में निहित है लोक हित को ध्यान में रखते हुए उक्त वृक्ष महुआ को काटने की अनुमति दी जाती है।

छ.ग. वनउपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छ.ग. परिवहन (वन उपज) नियम,2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
अनुविभागीय अधिकारी (राज.)
रामानुजनगर,जिला–सूरजपुर छ0ग0
रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

पृष्ठ क्रमांक /1077A/ वाचक / 2025 रामानुजनगर दिनांक 11 / 07 / 2025

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला.....सूरजपुर की ओर प्रेषित........
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल.....रामानुजनगर......को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार,तहसील......रामानुजनगर.....को वृक्ष कटाई के पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
अनुविभागीय अधिकारी (राज.)
रामानुजनगर,जिला–सूरजपुर छ0ग0
रामानुजनगर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

रजिस्टर पुष्टि किया
उप सरपंच
ग्राम पंचायत